Title: Need to include Tharu caste in Bihar in the list of Scheduled Tribe.

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : महोदय, बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण जिले के अंतर्गत मैनाटाड, गौनाहा, रामनगर तथा बगहा - प्रखंडों में 800 वर्गमीटर भू-भाग में शिवालिक पर्वत के तलहटी में जंगलों से घिरे क्षेत्र को आमतौर पर थारूहट क्षेत्र कहा जाता है, जहां थारू जाति के लोग निवास करते हैं, जो अत्यंत ही निर्धन, अशिक्षित तथा पिछड़े हुए हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 2 लाख के आसपास होगी।इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी थारू जाति के लोग गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बलरामपुर, खीरी, लखीमपुर, बहराईच, पीलीभीत तथा नैनीताल जिलों में निवास करते हैं और वहां पर इनकी जनसंख्या 4 लाख के आसपास होगी। उत्तर प्रदेश में थारू जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में रखा गया है, लेकिन बिहार में एक ही जाति होने के बावजूद तथा प्रत्येक दृटि से उत्तर प्रदेश के थारूओं के समान होने के बावजूद बिहार राज्य में थारू जाति को अत्यंत पिछड़ी जाति की सूची में रखा गया है। एक ही राट्र में, एक ही जाति के साथ समान परिस्थितियों के बावजूद दो अलग-अलग पड़ोसी राज्यों (उत्तर प्रदेश और बिहार) में भारतीय संघ द्वारा अलग-अलग तरीकों से व्यवहार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार की थारू जाति को उत्तर प्रदेश की तरह ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए उचित कार्यवाही करने का कट करें।